



हँ याद राखल जाव ...

कवनो भी व्यक्ति के ओकर उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय आ शारिरीक अवस्था के आधार पर कवनो भी निजी आ सार्वजनिक ठाव मे कवनो भी प्रकार के छुवाछूत चाहे भेदभाव करेके ना मिली । - धारा २४ (१) नेपाल के संविधान (२०७२)

कोई भी निजी आ सार्वजनिक ठाव मे जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जन्य अपराध कईला पर कसूर सजाय ऐन उ व्यक्ति के ३ महिना से लेके ३ वर्ष तक कैद चाहे ५ सय रुपैया से लेके २५ हजार जरीवाना अथवा दोनु सजाय कईल जाय वाला कानुन मे व्यवस्था बा । सार्वजनिक पद धारण कईल व्यक्ति ओइसन कसूर चाहे अपराध कईला पर उ व्यक्ति के औरि कवनो व्यक्तिके जैसन होखेवाला सजाय से बेसी थप ५० प्रतिशत सजाय होखी । - दफा ७ (१) क (ख) औरि दफा ७ (२) जातीय भेदभाव औरि छुवाछूत (कसूर सजाय) ऐन, २०६८

जातीय भेदभाव आ छुवाछूत, डाईन, बहुविवाह सम्बन्धी कसूर मे कैद के सजाय मिल्ला पर सजाय भुक्तान कईल मिति से तीन वर्ष पुरा ना भइला पर ओसन व्यक्ति स्थानिय चुनाव मे उम्मेदवार होखे खातिर अयोग्य मानल जाई । - दफा १३ (ज) स्थानिय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

सब के साथ सम्मानजनक व्यवहार कईल जाव, कानुन के पालना कईल जाव !!

मानव अधिकार औरि आत्मसम्मान के खातिर सामुहिक आवाज परियोजना

